प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/87060/KSN/KUSHI NAGAR/859/CFO

दिनांक : 22-06-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **AZNEETA ACADEMY** पता **ARAZI N0-1094,1086,1087,WARD-08 PAGARA KALIKA RAO NAGAR N P HATA,KUSHINAGAR** तहसील - **HATA** प्लाट एरिया **7890 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3149.85** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	G+2	0	10 mts

है भवन का अधिभोग मेसर्स **AZNEETA ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **23-06-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ASHWANI KUMAR TIWARI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **23-06-2023** से **22-06-2026** तक **3** वर्षो के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **AZNEETA ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **AZNEETA ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 01-अर्ह अभिकर्ता /अग्निशमन अभियन्ता से 02 वर्ष में न्यूनतम 01-बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें।
,02- विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार समस्त प्रावधान रखना वांछनीय होगा। ।
03- कभी भी सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने पर आप स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार होगें।
04- अतिरिक्त भवन अधिभोग/निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति ली जायें।
05- भवन का एन0ओ0सी0 संशोधित शासनादेश संख्या-187/छः-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार निर्गत किया जाता है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

JASVEER SINGH

89C53FD40E1570902F78776FE92E58F4E0B3D2E7

23-06-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 23-06-2023
स्थान : KUSHI NAGAR

Principal
Azneeta Academy
Pagra, Kalika Rao Nagar
Hata, Kushinagar (U.P.)

Manager
Azneeta Academy
Pagra, Kalika Rao Nagar
Hata, Kushinagar (U.P.)